प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.05.2024

क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय वाँछित / 50-50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 60 लाख रूपये का माल व चोरी करने मे प्रयुक्त कार बरामद

दिनाँक-03/05/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री, आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर अपराधियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 04 करोड रूपये का मोबाइल टावरो से चोरी का माल, चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण व चोरी मे प्रयुक्त वाहनो को बरामद करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी जिसमें इस गिरोह के अन्य 07 सदस्य फरार चल रहे थे।

इसी क्रम मे दिनाँक-22/05/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 03 शातिर फरार अभियुक्त जो जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री, आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले उपरोक्त गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से जियो व एअरटेल कम्पनी के टावरों की रेडियो रिसीवर यूनिट तथा चोरी करने में प्रयोग की जाने वाली कार वैगनार बरामद हुई। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-08/05/24 को **50-50 हजार रूपये का नगद पुरस्कार** घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त **अल्ताफ** ने बताया कि वह 5 वीं तक पढा है अल्ताफ के पिता राज मिस्त्री का काम करते है ये भी उन्ही के साथ राज मिस्त्री का काम करने लगा पर इस काम मे मजदूरी के अलावा कुछ नही मिलता था इसी बीच अल्ताफ की दोस्ती वसीम अल्वी व सुहेल मलिक से हुई जिसने उसे मोबाइल टावर के आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण की चोरी व उसमे काफी लाभ होने की बात बतायी तभी से वह उनके साथ मोबाइल टावरों से चोरी करने लगा। अभियुक्त **नईम मलिक** ने बताया कि वह 12वीं फेल है तथा घर के नीचे की कबाड की दुकान करता है पूर्व में वह आर्मी के कबाड का लाट उठाता था उसके बाद दुबई से सैकेण्ड हैण्ड लैपटॉप लाकर बेचने का काम करने लगा लेकिन ज्यादा मुनाफा नही हुआ इसी बीच लॉक डाऊन हो गया उसके बाद उसने फिर कबाड का काम शुरू किया इसी बीच नईम की मुलाकात जावेद मीरापुरिया से मुस्तफाबाद मे हुई जावेद मीरापुरिया ने बताया कि मोबाइल टावरों से चोरी की आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस का काम करने में लाखों का फायदा है और जावेद ने नईम से कहा कि वह उसकी बतायी हुई पार्टियों से माल लेकर सुरक्षित सुमित के माध्यम से माल की डिलीवरी करवा दे

इसमे काफी फायदा होगा इस पर नईम ने जावेद की बताई हुई पार्टियों से चोरी का माल लेकर सुमित के माध्यम से वसीम व जावेद को पहुँचाने लगा। अभियुक्त **वसीम मलिक** ने पूछने पर बताया कि वह 7वीं फेल है और जावेद मलिक मीरापुरिया का छोटा भाई है तथा वैशाली सैक्टर-04 में फाईन कैफे के नाम से पार्टनरशिप मे रेस्टोरेन्ट चलाता है तथा अपने भाई जावेद मीरापुरिया के साथ मिलकर मोबाइल टावर से चोरी की आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की खरीद-फरोख्त का काम करता है। उसका भाई जावेद गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश से मोबाइल टावरों से चोरी किया गया रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्रियाँ व अन्य इलैक्ट्रॉनिक डिवाईस लेकर उसे आगे बेचता है।

सभी अभियुक्तों ने पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और इसकों ट्रॉन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं। पहले हम लोग अलग-अलग मोबाइल टावरो से आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण चोरी करने व बेचने का काम करते थे। फिर हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया। हमारे गिरोह मे कैफ, सुमित कसाना, राहुल गोयल, शुएब मलिक, वसीम अलवी, सुहेल मलिक, जुबैर, अल्ताफ, नईम, मेहराजुद्दीन, जावेद व उसका भाई वसीम शामिल है। हमारे गिरोह के सुहेल मलिक, वसीम अलवी, जुबैर व अल्ताफ दिल्ली एन0सी0आर0 मे दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते थे और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते थे राहुल गोयल यह बता देता था कि किस टावर पर कौन सा आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण लगे है और उसे कैसे खोलना है क्योकिं वह टेलीकॉम कम्पनी में ही काम करता था। घटना स्थल पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम सुहेल करता है रात्रि के समय मे उस गाडी से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते थे और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते थे और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते है, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते है। राहुल इन लोगो को सभी उपकरणों के बारे मे बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना मँहगा है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए कैफ, शुएब, सुमित, नईम, मेहराजुद्दीन उस माल को जावेद व उसके भाई वसीम को पहुँचाते थे। माल बेचने के बाद जो रूपये मिलते थे उसको ये लोग आपस मे बाँट लेते थे। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधियों ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पश्चिमी बंगाल, बिहार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी किये है। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में

मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.नईम पुत्र शफी अहमद निवासी डी-27-4929 गली न0-जीरो कान्ति नगर सरताज मौहल्ला ईस्ट लड सीलमपुर थाना कृष्णानगर दिल्ली उम्र करीब-35 वर्ष (कबाडी)

2.वसीम मलिक पुत्र नसीम मलिक निवासी जी-144 गली न0-13 भागीरथी विहार थाना गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष (कबाडी)

3.अल्ताफ पुत्र एहसान निवासी काले का मकान बिलाल मस्जिद के पीछे गाँधी कालोनी रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (चोर)

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-10 अदद

2.घटना करने प्रयुक्त 01 वैगनार कार रंग सिल्वर

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त नईम के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त वसीम के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त अल्ताफ के विरूद्ध राजस्थान में 05, दिल्ली में 07 व अलीगढ में 01, मु0नगर में 01 गाजियाबाद मे 03 कुल 17 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा गला रेत कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे / निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व सीमेंट की 01 बडी ईंट बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 21.05.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री हरिओम पुत्र अहिवरन सिंह निवासी 469/3 अशोक नगर दिल्ली के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी के साले की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी है। तत्काल खोड़ा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सलमान खान पुत्र फिरोज खान हाल निवासी प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को उसके निवास स्थान प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे / निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व सीमेंट की 01 बडी ईंट बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ में कि मृतक जसवीर सिंह मेरा दोस्त था हम दोनों एक साथ बैठकर नशा करते थे । जसवीर मुझसे शराब व गांजा मगवाता था । मना करने पर वह मेरे साथ मारपीट करता था । दिनांक 20.05.2024 की शाम को जसवीर ने मुझे अपने घर बुलाया और मुर्गा बनाने व शराब लाने के लिये कहा । डर की वजह से मुर्गा एवं शराब लेकर जसवीर के घर आया जसवीर को मुर्गा बनाकर खिलाया और हम दोनो ने एक साथ बैठकर शराब पी जसवीर को जब नशा हो गया । तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगा मुझे गाली देने लगा । मैने गुस्से में आकर पास में पड़ी सीमेट की ईंट उठाकर जसवीर के सर में मार दी जिससे वह फर्श पर गिर गया । पास में रखा सब्जी काटने वाले चाकू से जसवीर के गले पर कई बार फेर दिया उसके गले व सर से खून निकलने लगा । जब मुझे पता चला की जसवीर मर गया है । मै अपने घर पर आ गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

सलमान खान पुत्र फिरोज हाल निवासी प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

कब्जे / निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व सीमेंट की 01 बडी ईंट बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना खोड़ा पुलिस टीम ।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.05.2024 को थाना भोजपुर पर वादी श्री शिवम पुत्र महेश निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि 1-आशीष पुत्र डालचन्द 2-कपिल पुत्र बीरपाल व 3-सुभाष उर्फ पोखर पुत्र रघुवीर निवासीगण ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा वादी के पिता महेश की ईट मारकर हत्या कर दी है । उपरोक्त तहरीर पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 21.05.2024 को ही थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर 02 अभियुक्तों 1- आशीष उर्फ बन्टी पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष 2- कपिल उर्फ कैडी देव पुत्र वीरपाल निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को मोदीनगर हापुड रोड तुलाराम कृषि फार्म के पास टयूबवैल से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सुभाष उर्फ पोखर पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को भोजपुर से पिलखुवा जाने वाली रोड पर अमराला गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों व मृतक महेश पुत्र रामचन्द्र एक साथ बैठकर अक्सर शराब पीया करते थे। जब हम लोग आपस में बैठकर शराब पीया करते थे तो शराब के पैसे देने को लेकर हमारा आपस में विवाद हो जाता था तो महेश हम तीनों को गालियां देने लगता था। हम तीनों ने उसे कई बार समझाया था कि गाली मत दिया कर लेकिन वह नहीं मानता था। कई बार मना करने के बाद भी महेश नहीं माना तो हम तीनों ने सोचा था कि मौका मिलते ही किसी दिन हम तीनों मिलकर इसका काम तमाम कर देंगें और कल दिनाँक 21.05.2024 को भी हम चारों लोग खंजरपुर के जंगल में खाली खेत में शीशम के पेड़ के नीचे शराब पीने के लिए पहुँचे तो हम तीनों ने तय कर लिया था कि आज अच्छा मौका है, महेश को अधिक शराब पिलाकर इसका काम तमाम कर देते है और फिर हम तीनों ने महेश के साथ बैकर शराब पी और महेश को अधिक शराब पिलाकर महेश को वहीँ खेत में चित अवस्था में गिराने के बाद हम तीनों में से कपिल उर्फ केडी देव द्वारा महेश के पैरों को पकड़ लिया गया और आशीष उर्फ बन्टी के द्वारा महेश के हाथ पकड़ लिए थे और सुभाष उर्फ पोखर द्वारा वहाँ पर पड़ी ईट से महेश के सिर व मुँह पर वार कर दिया और फिर हम तीनों महेश को मारकर वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम/पता

1-आशीष उर्फ बन्टी पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष

2-कपिल उर्फ कैडी देव पुत्र वीरपाल निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

3-सुभाष उर्फ पोखर पुत्र स्व0रघुवीर सिंह निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक खून लगी ईट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.05.2024 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि अभियुक्त गुड्डु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम भोजपुर गाजियाबाद द्वारा फोन करके वादी व वादी के बहनोई तथा रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रुप से फ्लैट/प्लाट व पैसे की माँग की गई है। जिसके संबंध में तत्काल थाना

भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 21.05.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों 1- गुड्डू उर्फ दीपाशु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम भोजपुर गाजियाबाद 2- पिंकल पुत्र जीता सिह निवासी ग्राम भोजपुर गाजियाबाद 3- अनुज राठी उर्फ छोटू पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया तथा कब्जे से अवैध 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हमारी पुरानी मुकदमे बाजी में बहुत रूपया खर्च हो गया है। अभी हमारे पास कोई काम धन्धा नहीं था। इसलिये साथ मिलकर रंगदारी की मांग कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1-गुड्डू उर्फ दीपाशु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम भोजपुर गाजियाबाद उम्र – 28 वर्ष
2-पिंकल पुत्र जीता सिह निवासी ग्राम भोजपुर गाजियाबाद उम्र- 32 वर्ष
3-अनुज राठी उर्फ छोटू पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र– 29 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त गुड्डू उर्फ दीपाशु पर थाना मुरादनगर में 01 अभियोग हत्या का, 01 अभियोग आयुध अधिनियम, थाना मोदीनगर में 01 आयुध अधिनियम व 01 लूट व अन्य भादवि के अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त पिंकल पर पूर्व में थाना भोजपुर पर 01 लूट का अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त अनुज राठी पर भी थाना मुरादनगर पर हत्या का 01 अभियोग व 01 अभियोग आयुध अधिनियम के अन्तर्गत व थाना मोदीनगर पर 01 लूट का अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

अवैध 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड , 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 20.12.2023 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि एटीएम से रुपये निकालते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा एटीएम बदलकर 1,30,000 रुपये निकाल लिये है। दिनांक 05.07.2023 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर 119499/- रुपये निकाल लिये है। दिनांक 20.03.2024 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम बदलकर 20,000/-रुपये निकाल लिये है। दिनांक 25.04.2024 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम से रुपये

निकालते समय मेरा कार्ड बदलकर 68,000/- रुपये निकाल लिये है । तत्काल शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक **22.05.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त** मौहम्मद उमर पुत्र मौहम्मद हाजी नसीर निवासी म0न0 6 गली न0 मौलाना आजाद कॉलोनी बेहटा हाजिपुर उम्र 28 वर्ष को ताहिरपुर कट से गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 25 विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड , 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि एटीएम बदलकर एटीएम से चोरी से पैसे निकाल लेता था जिससे अपने परिवार का खर्चा व अपने शौक मौज पूरे करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-
मौहम्मद उमर पुत्र मौहम्मद हाजी नसीर निवासी म0न0 6 गली न0 मौलाना आजाद कॉलोनी बेहटा हाजिपुर उम्र 28 वर्ष
बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से 25 विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड , 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 21.05.2024 को थाना खोड़ा पर वादिया / पीड़ीता द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरे दोस्त राजा उर्फ हुसैन पुत्र सन्नी ने वादिया / पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना , अश्लील फोटों वायरल करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना खोड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । तत्काल टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 22.05.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त राजा उर्फ हुसैन पुत्र सन्नी निवासी दूसरा पुस्ता, नूरानी मस्जिद के पास खोडा कालोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को इतवार पुस्ता खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:
राजा उर्फ हुसैन पुत्र सन्नी निवासी दूसरा पुस्ता, नूरानी मस्जिद के पास खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- थाना खोड़ा पुलिस टीम ।